

क्र.....528..../ज.अ.प./प्रशा./2015

भोपाल, दिनांक 16/04/2015

प्रति,

संभाग समन्वयक (समस्त)

जिला समन्वयक (समस्त)

म.प्र. जन अभियान परिषद्

विषय : कार्ययोजना/भ्रमण कार्यक्रम अनुरूप कार्य किये जाने के संबंध में।

मेरे तथा राज्य कार्यालय के सलाहकार, निदेशक परियोजना, संभागीय टॉस्क मैनेजर, प्रोग्रामर तथा लेखाधिकारी के द्वारा प्रदेश के भ्रमण तथा जिला/विकासखण्ड समन्वयकों द्वारा प्रस्तुत वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन की समीक्षा करने पर यह ध्यान में आया है कि आपके द्वारा भ्रमण की जानकारी ठीक ढंग से प्रेषित नहीं की जा रही है। इसे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भ्रमणों की संख्या बढा-चढा के प्रस्तुत की गई है। जबकि स्वयंसेवी संगठनों विशेषकर नवांकुर तथा प्रस्फुटन समितियों से प्राप्त सुझावों से यह तथ्य प्रकाश में आया है कि जिला/विकासखण्ड समन्वयक परिषद् के राज्य कार्यालय की अपेक्षा अनुसार भ्रमण नहीं कर रहे हैं।

आप सभी को पूर्व में भी प्रतिमाह पर्याप्त भ्रमण करने के संबंध में पत्रों तथा बैठकों के माध्यम से कई बार निर्देशित किया जा चुका है। म.प्र.जन अभियान परिषद् का गठन जिन उद्देश्यों को लेकर हुआ है। उन उद्देश्यों की पूर्ति कार्यकर्ताओं के गांव में भ्रमण तथा समाज से संपर्क बढाये बिना संभव नहीं है। आपके द्वारा प्रस्फुटन समितियों/नवांकुर संस्थाओं के बैठक/प्रशिक्षण आयोजित किये जाते हैं। जिनमें उनके एक-दो प्रतिनिधि उपस्थित हो पाते हैं। स्वयंसेवी संगठनों के प्रत्येक पदाधिकारी एवं सदस्यों से संपर्क किया जाना अत्यन्त आवश्यक है ताकि उन्हें जन अभियान परिषद् के उद्देश्यों तथा नवांकुर/प्रस्फुटन समितियों के चयन/गठन एवं प्रदाय की जाने वाली प्रोत्साहन/सहायता राशि के उपयोग में मार्गदर्शन मिल सके। जैसा कि आपको कहा गया है कि यह वर्ष कर्मोपरायण (Year of Performence) के रूप में मनाया जाना है। यह तभी संभव है जब विकासखण्ड/जिला/संभाग समन्वयक अपने-अपने कार्य क्षेत्र में प्रस्फुटन व नवांकुर समितियों के साथ अधिक से अधिक संपर्क बढायें, मूल्यांकन करें, उन्हें परिषद् द्वारा चिन्हित गतिविधि अनुसार कार्य करने हेतु प्रेरित करें तथा दी गई सहायता राशि के उपयोग के संबंध में प्रावधानुसार मार्गदर्शन करें। इसके लिये प्रस्फुटन ग्रामों में चौपाल आयोजन सशक्त माध्यम है, चौपाल आयोजित कर गांव के व्यक्तियों के साथ बैठकर ज.अ.प. के उद्देश्यों तथा संरचना का स्वरूप स्पष्ट करें तथा उस गांव में गठित प्रस्फुटन समिति के पदाधिकारी अर्थात् अध्यक्ष, सचिव एवं सदस्यों का परिचय कराये एवं समिति का गठन क्यों किया गया है यह स्पष्टता

निरन्तर...

भी गांव के प्रत्येक व्यक्ति को होना चाहिए तथा प्रस्फुटन समितियों के पदाधिकारियों को भी उनके कर्तव्यों का बोध होना चाहिए। अतः विकासखण्ड/जिला/संभाग समन्वयक स्वयं भ्रमण/चौपाल आयोजन के लक्ष्य निर्धारित करें, उपरोक्तानुसार कार्य कर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें एवं 'आओं बनायें अपना स्वर्णिम म.प्र. के नौ बिन्दुओं से सरोकार रखने वाले विभागों की योजनाओं का प्रचार-प्रसार भी समितियों के माध्यम से कराना सुनिश्चित करें। परिषद् द्वारा गठित/पोषित स्वयंसेवी संगठनों को नदी/जल संरक्षण, जैविक खेती के पंजीकरण एवं प्रमाणीकरण तथा समग्र साफ-सफाई हेतु प्राथमिकता के तौर पर कार्य करने हेतु प्रेरित करना है। इसके अतिरिक्त कार्यकारिणी सभा के निर्देशानुसार इन विभागों से समन्वय कर किये जाने वाले कार्यों को चिन्हित कर 2014-15 की कार्ययोजना में सम्मिलित किया गया था। जिनका विवरण विषयवार संलग्न है, तदनुसार इस वित्तीय वर्ष में भी कार्य किया जाना सुनिश्चित करें।

अतः आशा है कि आप सभी उपरोक्तानुसार कार्य करेंगे तथा स्वयंसेवी संगठनों को कार्य कराने के लिये प्रेरित/प्रोत्साहित करेंगे। माह अप्रैल, मई तथा जून में मैदान में कार्य करने का समय होता है। हमारे प्रदेश को हराभरा बनाने, जल/नदी संरक्षण तथा समग्र साफ-सफाई व स्वच्छता की दिशा में स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से गंभीरता से प्रयास करें। माह अप्रैल की समाप्ति के पश्चात् मेरे तथा राज्य कार्यालय के अधिकारियों द्वारा प्रदेश का सघन दौरा कर राज्य कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन की जानकारी, वार्षिक कार्ययोजना अनुसार कार्यों की प्रगति तथा उपरोक्तानुसार कार्य करने में आपके द्वारा की गई पहल की समीक्षा की जायेगी। कार्यकारिणी समिति द्वारा स्वीकृत कार्ययोजना के अनुसार ही स्वयंसेवी संगठनों हेतु चिन्हित विषयों को मूर्त एवं व्यवहारिक रूप देने हेतु अभियान के रूप में जिला तथा संभाग समन्वयक आपस में चर्चा कर रणनीति निर्धारित कर, यह कार्य करें।

(उमेश शर्मा)

कार्यपालक निदेशक

म.प्र. जन अभियान परिषद्

भोपाल, दिनांक 16/04/2015

क्र.....529...../ज.अ.प./प्रशा./2015

प्रतिलिपि :

1. निदेशक परियोजना की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. टॉस्क मैनेजर (समस्त) की ओर पालनार्थ प्रेषित।
3. विकासखण्ड समन्वयक (समस्त) की ओर पालनार्थ प्रेषित।

कार्यपालक निदेशक

म.प्र. जन अभियान परिषद्